

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

✓ निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 26 सितम्बर, 2016

विषय वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 में शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत जनपद-सम्भल की 09 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1696/15/छ:/30/2012-13, दिनांक 01 अगस्त, 2016 एवं अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्भल के पत्र संख्या-210(11)/इडा/इंटरलाकिंग/2016-17 दिनांक 14 सितम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-सम्भल की न0पा0प0 सम्भल, चन्दौसी व बहजोई तथा नगर पंचायत बबराला, नरौली, गुन्नाौर एवं सिरसी की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 09 परियोजनाओं हेतु ₹0 292.87 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि ₹0 146.435 लाख (रूपये एक करोड़ छियालिस लाख तैतालिस हजार पाँच सौ मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में बर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

आ. मा. मा.

क्रमशः.....2

26/9/16

26/9/16

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव तथा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग तथा नाली आदि का निर्माण-00-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

hpsh
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-599/2016/2131(1)/69-1-16, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, 20 सरोजनी नॉयडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्भल।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

hpsh
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या- 599 /2016/2131(1)/69-1-16-55(अ0सं0-37)/2016, दिनांक 26 सितम्बर, 2016 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र0 सं0	जनपद	निकाय/ नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	परियोजना की कुल लागत	प्रथम किश्त (50 प्रति0) के रूप में स्वीकृत धनराशि।
1	सम्भल	न0पं0 सम्भल	वार्ड सं0 19 मो0 शहबाजपुरा दीपासराय में मिन्जार के मकान से हाजी अहरार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	26.80	13.40
2	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 13 मो0 मंगलपुरा में नूर हसन से दानिश के मकान तक एवं अ0 रहीम के प्लाट से इमाम वक्श के मकान तक, इरफान के प्लाट से इस्लाम के मकान तक एवं याकूब के मकान से इरफान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.92	7.46
3	सम्भल	न0पं0 सिरसी	वार्ड सं0 13 मो0 वाल्मीकि गिन्नीरी में मेन रोड मस्जिद से बीबी जैनब के मजार तक, विलारी रोड से करबला तक एवं मुनव्वर हुसैन के मकान से सालिम भाई की दुकान (मदरसा) तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	139.92	69.96
4	सम्भल	न0पा0परि0 बहजोई	वार्ड सं0 14 मो0 कुरैशियान नई बस्ती में बाबू के मकान से कमरुल के मकान तक, सलीम के मकान से बब्बू के मकान तक, फाजिल के मकान से सदन शेख के मकान तक, अब्दुल करीम के मकान से इसरार हेड वाले के मकान तक एवं मुनव्वर के मकान से कल्लन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	53.91	26.955
5	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 17 मो0 फकीरान में शकील अहमद के मकान से कल्लू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.73	2.865
6	सम्भल	न0पा0परि0 चन्दौसी	वार्ड सं0 23 मो0 लक्ष्मणगंज में नासिर के मकान से मेन रोड तक एवं नासिर के मकान से हाशिम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	16.68	8.34
7	सम्भल	न0पं0 गुन्नौर	वार्ड सं0 04 मो0 सराय राम मन्दिर में नवीन प्राइमरी स्कूल वाली गली व छोटे के मकान से अल्ला रक्खे के मकान तक एवं यशीर के मकान से फुरकान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.04	4.52
8	सम्भल	न0पं0 नरौली	वार्ड सं0 02मो0 काजीटोला नगर (तेलीवाला कुओं) में चौद खों के मकान से मुख्तयार के मकान तक	14.52	7.26

			एवं हनीफ खां के मकान से लईक के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		
9	सम्भल	न0पं0 बबराला	वार्ड सं0 04 मो0 साहूकारा में कौशर के मकान से हसनैन व अली मोहम्मद के मकान तक, शौकत अली के मकान से हाजी रियासत अली के मकान तक एवं जफरुद्दीन वाली गली व इरफान ठेकेदार के मकान से शौकीन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.35	5.675
योग				292.87	146.435

(रूपये एक करोड़ छियालिस लाख तैतालिस हजार पाँच सौ मात्र)।

hpsh
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>